न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 12/2021

बउनवान

कपिल दत्तक पुत्र सुन्दरलाल जाति महाजन निवासी झालावाड़ रोड़, बारां तहसील बारां जिला बारां **(अपीलांट)**

बनाम

1. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां
2. सुन्दरलाल पुत्र भंवरलाल जाति महाजन निवासी बारां **(रेंस्पोडेंटगण)**

अपील बनाराजगी नामान्तकरण सं. 377 ग्राम तलावड़ा तहसील बारां दिनांक 10.07.2015
अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री पेरोकार सरकार **(रैस्पाडेन्ट कम–1)**

निर्णय दिनांक 14.02.2022

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक अपील इस आशय की पेश हुई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 377 दिनांक 10.07.2015 न्यायिक कानून एवं तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 कम 2 द्वारा अपनी पत्नी नन्दूबाई के देहान्त के पश्चात ग्राम तलावड़ा की आराजी खसरा नं. 332 रकबा 5.17 है. पर अपीलांट व रेस्पो. कम 2 का अपने गोदपुत्र के नाम इंतकाल खुलवाने का आवेदन पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 29.05.2015 को प्रकरण संख्या 106/15 में विधिसम्मत आदेश पारित किया था परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त आदेश की पालना अक्षरशः न कर नामान्तकरण संख्या 377 में अपीलांट की वल्दियत उसके प्राकृतिक पिता के नाम से दर्ज कर दी गई जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को दिनांक 26.11.2014 के रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर मृतक नन्दूबाई की आराजी पर दत्तक पुत्र के नाम अंकित करने के आदेश दिये गये थे इस कारण नामान्तकरण संख्या 377 त्रुटिपूर्ण होने तथा न्याय, कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.06.2015 पूर्ण रूप से सही है परन्तु उक्त निर्णय की पालना में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 377 आदेशानुसार [illegible] से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल [illegible] 10.07.2015 ग्राम तलावडा निरस्त फरमाया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयानुसार ग्राम तलावड़ा की आराजी खसरा नंबर 332 रकबा 5.17 है. पर अपीलांट के प्राकृतिक पिता के स्थान [illegible]क पुत्र के रूप में संयोजित किये जाने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.02 10:59:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बारां (राज0)

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट कम–1 व 2 दिनांक 20.09.2021 को स्वंय उपस्थित हुये। तथा रेस्पो. कम 2 बावजूद सूचना दिनांक 25.10.2021 से निरन्तर अनुपस्थित रहा। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की सुनी। बहस के दौरान अभिभाषक अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पो0 कम 2 द्वारा अपनी पत्नी नन्दूबाई के देहान्त के पश्चात ग्राम तलावड़ा की आराजी खसरा नं. 332 रकबा 5.17 है. पर अपीलांट व रेस्पो. कम 2 का अपने गोदपुत्र के नाम इंतकाल खुलवाने का आवेदन पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 29.05.2015 को प्रकरण संख्या 106/15 में विधिसम्मत आदेश पारित किया था परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त आदेश की पालना अक्षरशः न कर नामान्तकरण संख्या 377 में अपीलांट की वल्दियत उसके प्राकृतिक पिता के नाम से दर्ज कर दी गई जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को दिनांक 26.11.2014 के रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर मृतक नन्दूबाई की आराजी पर दत्तक पुत्र के नाम अंकित करने के आदेश दिये गये थे इस कारण नामान्तकरण संख्या 377 त्रुटिपूर्ण होने तथा न्याय, कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नं. 377 दिनांक 17.06.2015 ग्राम तलावडा निरस्त फरमाया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार ग्राम तलावड़ा की आराजी खसरा नंबर 332 रकबा 5.17 है. पर अपीलांट के प्राकृतिक पिता के स्थान पर दत्तक पुत्र के रूप में संयोजित किये जाने का आदेश फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण संख्या 377 दिनांक 17.06.2015 प्रकरण संख्या 106/15 जांच गोदनामा मृतक नन्दूबाई पत्नि सुन्दरलाल महाजन में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2015 की पालना में विधिनुरूप खोला गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के ऑपरेटिव पोरशन अनुसार "प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर पटवारी हल्का फूंसरा को आदेश दिये जाते हैं कि मृतक नन्दूबाई के खाते की भूमि वाके ग्राम तलावड़ा के खाता संख्या नया 45 पुराना 46 के खसरा नंबर 332 रकबा 5.17 है. भूमि मुताबिक गोदनामा सुन्दरलाल गोयल पुत्र भंवरलाल अग्रवाल महाजन तालाब पाड़ा बारां एवं गोदपुत्र कपिल पुत्र चन्द्रप्रकाश महाजन बारां के नाम दर्ज खाता की जावे। तदनुसार नामान्तरण दर्ज कर तस्दीक किया जावे" इसी अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 377 दिनांक 17.06.2015 तस्दीक किया गया है। अतः अपील खारिज फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपात अवलोकन किया अपीलांट द्वारा प्रश्नगत आराजीयात पर दर्ज किये गये नामान्तकरण संख्या 377 को चुनौती दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 106/15 जांच गोदनामा मृतक नन्दूबाई पत्नि सुन्दरलाल महाजन में निर्णय दिनांक 29.05.2015 को पारित कर विवादीत आराजी खसरा नं. 332 रकबा 5.17 है0 मुताबिक गोदनामा सुन्दरलाल पुत्र भंवरलाल व

जिला कलक्टर बारां (राज०)
जिला कलक्टर बारां (राज०)
Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.02 10:59:39 IST
Reason: SelfAttested

पुत्र कपिल पुत्र चन्द्रप्रकाश के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये थे। जिसकी पालना में प्रश्नगत नामांतकरण खोला जाकर दिनांक 17.06.2015 को स्वीकृत किया गया है। उक्त निर्णय में नामान्तकरण सुन्दरलाल पुत्र भंवरलाल एवं कपिल पुत्र चन्द्रप्रकाश के नाम नामान्तकरण खोले जाने का निर्णय पारित किया गया था। तथा प्रश्नगत नामान्तकरण भी इसी अनुसार खोला गया है। अपीलांट को प्रकरण के संबंध में कोई आपत्ति थी तो उन्हे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 106/15 जांच गोदनामा मृतक नन्दूबाई पत्नि सुन्दरलाल महाजन में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2015 को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिये थी। जबकि अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध चाराजोही नहीं कर नामान्तकरण संख्या जो उक्त निर्णय की पालना में खोला जाकर स्वीकृत किया गया है, को चुनौती दी है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण सारहीन होने से खारिज किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 106/15 जांच गोदनामा मृतक नन्दूबाई पत्नि सुन्दरलाल महाजन के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारा

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.02 10:59:39 IST
Reason: SelfAttested